प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर

युगलपीठ : माननीय न्यायालय श्री सुनील कुमार सिन्हा व

माननीय न्यायालय श्री राधे श्याम शर्मा

दाण्डिक अपील क्रं. – 549/2004

मोतीराम

बनाम

छ.ग. राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचार हेतु निर्णय

सही

आर.एस. शर्मा

(न्यायाधीश)

माननीय न्यायाधीश श्री सुनील कुमार सिन्हा

मैं सहमत हूं।

सही

सुनील कुमार सिन्हा

(न्यायाधीश)

छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर

युगलपीठ : माननीय न्यायालय श्री सुनील कुमार सिन्हा व

माननीय न्यायालय श्री राधे श्याम शर्मा

दाण्डिक अपील क्रं**. – 549/2004**

अपीलार्थी	मोतीराम आ. मंगतूराम , उम्र लगभग 26 वर्ष, पेशा- कृषि/ मजदूरी, निवासी- ग्राम टोडेम नेलवाद पुलिस थाना कोण्डागांव, जिला बस्तर छ.ग.
	बनाम
प्रत्यर्थी	छ.ग. राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के.मिश्रा राज्य/उत्तरवादी की ओर से पैनल अधिवक्ता श्री राजेन्द्र त्रिपाठी।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत दाण्डिक अपील

निर्णय

(दिनांक **31** जुलाई **2012** को पारित किया गया**)**

न्यायाधीश श्री राधेश्याम शर्मा अनुसार:

यह अपील सत्र विचारण क्रमांक 494/2003 में जगदलपुर के सत्र न्यायालय बस्तर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.03.2004 के विरूद्ध निर्देशित किया गया है। आक्षेपित निर्णय द्वारा , आरोपी, /अपीलार्थी मोतीराम को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्ध किया गया और आजीवन कारावास भुगतने की सजा दी गयी है।

2. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है:-

दिनांक 23.06.2003 मृतक दुर्जन ने खाना पकाने के बाद खाना खा रहे थे। उसी समय मृतक ने अपीलार्थी से कहा कि वह यहां वहां घूमता रहता है वे खेत तैयार कर देंगे और ऐसा कहकर , जब मृतक बाहर जाने लगा उसका पैर थाली (प्लेट) से छू गया जिसमें अपीलार्थी खाना खा रहा था। इस पर अपीलार्थी ने नाराज होते हुए कहा कि गांव वाले उसे कुछ नहीं कह सकते थे लेकिन उसने ऐसा कहा और उसने भी उसके खाने की थाली में अपना पैर रख दिया। उसके बाद, अपीलार्थी ने टंगिया से मृतक की पीठ पर हमला किया। तब अपीलार्थी एक फरसा लाया और उसी से मृतक के सिर, गले, पीठ, पैर, जांघ और जबड़े पर हमला कर दिया। जिसके कारण मृतक बेहोश हो गया। रतिराम (अ.सा.-01) ने घटना देखा था, निरघत (अ.सा.-02) के घर गया और घटना सुनायी। निरघत (अ.सा.-02) ने पुलिस थाना कोण्डागांव में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी.01)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दर्ज कराया था। मृतक को प्रदर्श पी.03 अनुसार चिकित्सकीय परीक्षण के लिए आर.एन.टी. चिकित्सालय कोण्डागांव भेजा गया। जहां वह होश में आया। वहां उसे इलाज हेतु भर्ती किया गया। डॉ. रवि अवस्थी (अ.सा.-09) मृतक का परीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने कई चीरे हुए घाव (संख्या में 07) पाये थे। प्र.पी.5ए के अनुसार डॉ. रवि अवस्थी द्वारा दिनांक 24.06.2003 को शाम 05.15 बजे मृतक का मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किया गया था। कोण्डागांव के अस्पताल में मृतक के जख्मों के न भरने के कारण उसे बाहर के अस्पताल में इलाज के लिए स्थानांतरित किया गया। अपीलार्थी को भी प्र.पी.04 के अनुसार चिकित्सकीय परीक्षण के लिए आर.एन.टी. चिकित्सालय भेजा गया था। डॉ. रवि अवस्थी (अ.सा.-09) ने अपीलार्थी का परीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट (प्र.पी.04 ए) दी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। अन्वेषण के दौरान प्र.पी.13 के अनुसार घटना- स्थल का नक्शा तैयार किया गया। प्र.पी.06 के अनुसार अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया था। प्र.पी.02 के अनुसार एक लोहे का टंगिया और एक लोहे के फरसा की जप्ती की गयी था। प्र.पी.07 के अनुसार मृतक द्वारा पहनी पीली सी धोती

को जप्त किया गया था। जप्त वस्तुओं को प्र.पी.18 के अनुसार न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर परीक्षण हेतु भेजा गया।

अन्वेषण पूर्ण करने के बाद न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी कोण्डागांव के न्यायालय में अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया। जिन्होने प्रकरण को जगदलपुर के सत्र न्यायाधीश बस्तर को उपार्पित कर दिया। जहां विचारण किया गया।

विचारण के दौरान दिनांक 20.11.2003 के शाम 08.00 बजे मृतक की मृत्यु हो गयी। दिनांक 22.11.2003 को पुलिस थाना कोण्डागांव को निरघत (अ.सा.-03) द्वारा उसकी मृत्यु की सूचना दी गयी थी। मर्ग सूचना (प्र.पी.14) दिनांक 22.11.2003 को ही पुलिस थाना कोण्डागांव में अभिलिखित किया गया था। अन्वेषण अधिकारी आर.एन.टी. अस्पताल कोण्डागांव पहुंचे, पंचों को सूचना (प्र.पी.15) भेजी गयी और मृतक के शव की जांच (प्र.पी.16) तैयार किया गया। प्र.पी.011 ए के अनुसार शव परीक्षण हेतु मृतक के शव को आर.एन.टी. अस्पताल कोण्डागांव के सुपुर्द किया गया। डॉ रवि अवस्थी (अ.सा.-09) ने मृतक के शव का परीक्षण किया और उसकी रिपोर्ट (प्र.पी.012) दी। जिसमें उनकी राय थी कि सेप्टिसेमिया और मेलन्यूट्रिशन के कारण मृत्यु

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हुयी थी। सेप्टिसेमिया का कारण 5 माह पूर्व एक कठोर और धारदार वस्तु द्वारा कारित पुरानी चोटें थी। आगे उनकी राय है कि चोटें मानववध प्रकृति की थी।

अन्वेषण उपरांत, अपीलार्थी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता संपूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया। जगदलपुर के विद्वान सत्र न्यायाधीश बस्तर ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अपराध के लिए अपीलार्थी के विरूद्ध विचारण किया और दोषसिद्ध किया व उपरोक्त वर्णित अनुसार उसे दण्डादिष्ट किया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.के. मिश्रा ने तर्क दिया कि, अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य विश्वसनीय और विश्वासोत्पादक नहीं है। इसलिए उनके साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है।

वैकल्पिक तौर पर उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि घटना दिनांक 23.06.2003 को हुई और दिनांक 20.11.2003 को मृतक की मौत हुई। मृतक को उचित इलाज नहीं मिला और उसे उसके घर वापस ले गये। यदि मृतक का उचित इलाज किया गया होता तो उसकी मौत नहीं होती। इसलिए अपीलार्थी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 के तहत दण्ड के लिए उत्तरदायी होगा।

4. राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से पैनल अधिवक्ता श्री राजेन्द्र त्रिपाठी ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया, कि विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा अधिनिर्णित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को इस न्यायालय द्वारा दखल देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

5. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और सत्र विचारण क्रमांक 494/2003 के अभिलेख की ओर अग्रसर होते हैं। अपीलार्थी की दोषसिद्धि मुख्य रूप से रतिराम (अ.सा.-01) निरधत (अ.सा.-02) और सामलू राम (अ.सा.-03) के साक्ष्य पर आधारित है। रतिराम (अ.सा.-01) और सामलू राम (अ.सा.-03) चक्षुदर्शी साक्षी हैं। मृतक ने निरधत (अ.सा.-02) और सामलू राम (अ.सा.-03) के समक्ष मृत्युकालिक कथन दिया था। प्र.पी.5 ए के अनुसार डॉ. रवि अवस्थी द्वारा उसका मृत्युकालिक कथन दर्ज किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. रतिराम (अ.सा.-01) ने बयान दिया कि घटना दिनांक को करीब शाम 04:00 बजे अपीलार्थी ने मृतक पर टंगिया से हमला किया था। उसका घर और मृतक का घर एक दूसरे के बगल में स्थित है। उसने घटना को अपने घर से देखा था। अपीलार्थी ने मृतक के मुंह, गले, पीठ और पैर पर हमला किया था। उसने तुरंत निरधत (अ.सा.-02) को घटना कह सुनाया।

7. सामलू राम (अ.सा.-03) ने बयान दिया कि मृतक अपीलार्थी का सगा भाई था। अपीलार्थी ने टंगिया से मृतक पर हमला किया। मृतक कोण्डागांव अस्पताल में भर्ती था। मृतक ने अस्पताल में घटना के बारे में बताया था। उस समय वह वहां मौजूद था।

8. निरधत (अ.सा.-02) ने बयान दिया कि अपीलार्थी उसका छोटा भाई था और मृतक बड़ा भाई था। रतिराम (अ.सा.-01) उसके पास आया और उससे कहा कि मृतक पर अपीलार्थी द्वारा टंगिया और फरसा से हमला किया गया था। मृतक को कोण्डागांव अस्पताल लेकर गये। उसने मृतक से पूछा था कि अपीलार्थी ने उसपर हमला क्यों किया था? मृतक ने उससे कहा कि उसने अपीलार्थी से कहा कि वह काम नहीं करता, इसलिए अपीलार्थी ने उस पर टंगिया और फरसा से हमला किया था। चोटें मृतक के सिर, नाक, गले, पीठ और पैर पर मौजूद थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. डॉ. रवि अवस्थी (अ.सा.-09) ने कथन किया कि दिनांक 24.06.2003 को घायल दुर्जन (मृतक) को आर.एन. अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होने कोण्डागावं में उसका परीक्षण किया, करीब 07 जखम पाये गये और सभी जखम/चोटें गंभीर प्रकृति की थी। प्र.पी. 5ए के अनुसार दिनांक 24.06.2003 को शाम 5:15 बजे उन्होंने मृतक का मृत्यु कालिक कथन दर्ज

किया था। जिसमें मृतक ने कहा था कि उसका छोटा भाई मोतीराम (अपीलार्थी) ने उसपर टंगिया से हमला किया था।

10. रतिराम (अ.सा.-01) ने स्पष्ट रूप से कहा कि अपीलार्थी ने टंगिया से मृतक पर हमला किया था। उसके साक्ष्य का समर्थन सामलू राम (अ.सा.-03) के साक्ष्य द्वारा किया गया है। निरधत (अ.सा.-02) और सामलूराम (अ.सा.-03) ने स्पष्ट कथन किया कि मृतक ने उनके समक्ष मृत्यु कालिक कथन दिया था। डॉ. रवि अवस्थी (अ.सा.-09) ने भी बयान दिया कि उन्होंने मृतक का मृत्यु कालिक कथन (प्र.पी.-5ए) अभिलिखित किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. घटना दिनांक 23.06.2003 को हुयी थी और दिनांक 20.11.2003 को मृतक की मौत लगभग 05 माह बाद हुयी थी। इसलिए यह संशय है कि मृतक मृत्युकालिक कथन करने के लायक था।

12. हमने रतिराम (अ.सा.-01) , निरधत (अ.सा.-02) और सामलू राम (अ.सा.-03) के साक्ष्यों का सावधानी पूर्वक अवलोकन किया। रतिराम (अ.सा.-01) व सामलू राम (अ.सा.-03) ने विनिदिष्ट रूप से बयान दिया है कि अपीलार्थी ने मृतक पर टंगिया से हमला किया था। निरधत (अ.सा.-02) और सामलू राम (अ.सा.-03) ने बयान में कहा कि पूछे जाने पर मृतक ने उन्हें बताया

था कि अपीलार्थी ने उस पर टंगिया से हमला किया था। मृतक द्वारा उनके समक्ष किया गया मृत्यु कालिक कथन विश्वसनीय एवं भरोसे मंद है। रतिराम (अ.सा.-01) और सामलू राम (अ.सा.-03) प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं उनके साक्ष्य द्वारा और डॉ. रवि अवस्थी (अ.सा.-09) के द्वारा दर्ज मृत्युकालिक कथन (प्र.पी.5ए) के द्वारा भी किया गया है। इस लिए यह प्रमाणित होता है कि अपीलार्थी ने मृतक पर हमला किया था। जिसमें उसे कई गंभीर चोटें आयी थी।

13. अब हम भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 और 304 के प्रावधानों के आलोक में मामले की जांच करेंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 हत्या की कोटि में न आने वाले अपराधिक मानव वध हेतु दण्ड का प्रावधान करती है। यह उन प्रकरण में विभेद करता है । जहां मारने का आशय मौजूद होने पर किया गया कार्य हत्या की कोटि में आता है। किंतु वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 के किसी भी अपवादों में नहीं आता और ऐसे प्रकरण जिनमें अपराध हत्या की कोटि में न आने वाला अपराधिक मानव है अर्थात जहां ज्ञान होता है कि मृत्यु होना संभाव्य है लेकिल मृत्यु कारित करने का आशय या मृत्युकारित करने के लिए सम्भाव्य शारिरीक चोट नहीं है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 का प्रथम भाग वहां लागू होता है, जहां आशय होता है वहीं दूसरा भाग लागू होता है

जहां ज्ञान होता है। किंतु उसके लिए आवश्यक बात यह है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 के किसी भी भाग के तहत आरोपी को दोषी ठहराने के पूर्व यह निरीक्षण किया जाना चाहिए कि मृतक उसके द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 के पाचों अपवादों में से किसी के अंतर्गत हुयी होगी जिसमें व्यक्ति गंभीर एवं अचानक प्रकोपन में आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो गया हो शरीर या संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा (व्यक्ति) के अधिकार का सद्भाव पूर्वक प्रयोग और बिना पूर्व चिंतन के अचानक झगड़े गर्मजोशी में की गयी मृत्यु शामिल है। किसी कार्य को करने के परिणाम का ज्ञान होना आशय से भिन्न है, जो यह दर्शाता है कि कोई विनिदिष्ट परिणाम होना ही चाहिए। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 के प्रथम भाग के तहत मामले को लाने के लिए आशय का तत्व एक कारक है जबकि बाद के भाग के लिए ज्ञान का तत्व एक कारक है। आशय विशेष परिणाम को प्राप्त करने के प्रयोजन से किया गया कार्य है। वैसे ही ज्ञान एक जागरूकता है जिसमें इस बात की सूचना होती है कि किसी कार्य को करने से एक विशिष्ट परिणाम हो सकता है।

15. प्राथमिकी (प्र.पी. -01) से यह दर्शित होता है कि मृतक ने अपीलार्थी से कहा कि वह यहां वहां घमता रहता है और जब मृतक बाहर जा रहा था तो उसका पैर थाली (प्लेट) से छू गया जिसमें अपीलार्थी और मृतक के बीच झगड़ा हुआ था। अपीलार्थी की मेडिको विधिक रिपोर्ट प्र.पी. -04A

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

है, जो दर्शित करती है कि झगड़े में अपीलार्थी को भी चोटें आयी थी। उसे आर.एन.टी. अस्पताल कोण्डागांव चिकित्सकीय परीक्षण के लए भेजा गया, डॉ. रवि अवस्थी ने दिनांक 26.06.2003 को अपीलार्थी (प्र.पी. 04) की जिसमें उन्होंने निम्न लिखित चोटे पायी:-

(i) आंख के बाये कोने के ऊपर कटा हुआ घाव।

(ii) आंख के बायें .... पर खरोच 2 से.मी. 2 से.मी.

(iii) पीठ पर कई खरोचें।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(iv) दाहिने घूटने के उपर 3 से.मी. 1 से.मी. घाव।

(v) दाहिनी जांघ पर 2 से.मी. 1 से.मी. फटा हुआ घाव।

इससे दर्शित होता है कि मृतक और अपीलार्थी के मध्य मारपीट हुयी थी।

16. मृतक को आर.एन.टी. अस्पताल कोण्डागांव में इलाज के लिए भर्ती किया गया था और उसके बाद उसे बाहर के अस्पताल में स्थानांतरित किया गया।

17. निरधत (अ.सा.-02) ने कथन किया कि यह सही है कि वे देशी (घरेलू) इलाज में विश्वास करते हैं। मृतक का तकरीबन 15 दिनों तक देशी (घरेलू) इलाज किया गया था। सुखलती बाई (अ.सा.-04) ने भी कथन किया कि यह सही है कि मृतक आर.एन.टी. अस्पताल कोण्डागांव में ठीक हो

रहा था। इसके बावजूद उसे देशी (घरेलू) उपचार के लिए नारायणपुर ले जाया गया। उसके बाद मृतक को सिंगनपुर और संबलपुर ले जाया गया। जहां 5 माह तक उसका देशी (घरेलू) इलाज किया गया। तदुपरांत मृतक को घर ले जाया गया। दिनांक 20.11.2003 को उसकी मृत्यु हो गयी। डॉ रवि अवस्थी (अ.सा.-09) की राय है कि , मृत्यु सेप्टिसोमिया और कुपोषण के कारण हुयी थी। सेप्टिसोमिया का कारण 5 माह पूर्व ठोस व धारदार वस्तु द्वारा आयी पुरानी चोटें थी।

18. प्रारंभ में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया और प्रकरण को सत्र न्यायाधीश को उपार्पित किया गया था। सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के तहत आरोप लगाये थे। विचारण के दौरान दिनांक 20.11.2003 को मृतक की मृत्यु हो गयी। अपीलार्थी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध हेतु पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया। और आरोप को संशोधित कर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 से 302 में परिवर्तित कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए यह स्थापित है कि अपालार्थी ने मृतक को उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से मानववध स्वरूप की चोटे कारित नहीं की थी। लेकिन ऐसी चोटें कारित किये जाने के समय उसे यह ज्ञान था कि इस कार्य द्वारा मृतक की मृत्यु हो सकती है।

इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 के भाग ii के दायरे में आता है न कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अतंर्गत।

20. उपरोक्त कारणों से अपील अंशत: स्वीकार की जाती है। धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपीलार्थी को दी गयी सजा और दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है।

इसके स्थान पर उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 के भाग II के तहत कठोर कारावास की सजा दी जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही	सही
सुनील कुमार सिंहा	आर.एस. शर्मा
(न्यायाधीश)	(न्यायाधीश)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By --------------------------- Asha Sharma